



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर

दिनांक- 25/05/2026

क्रमांक/ कोर्ट/2026/ 962

प्रेषित:-

तहसीलदार

रामसर।

विषय :- न्यायालय द्वारा पारित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53.88 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के प्रकरण संख्या 05/2025 का निर्णय दिनांक 25.05.2025 पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि इस न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के प्रकरण संख्या 05/2025 बअनवान पेमाराम बनाम स्वरूपाराम वगैराह का निर्णय दिनांक 25.05.2026 को पारित हो चुका है निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

संलग्न:- निर्णय की प्रति

(राम लाल मीणा)

सहायक कलक्टर RAS
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) रामसर

दिनांक- 25/05/2026

क्रमांक/ कोर्ट/2026/ 963-64

प्रतिलिपि:-1. वादी पेमाराम वगैराह।

2. स्वरूपाराम वगैराह।

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या -05/2025

उनवान

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

- 1.पेमाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट
- 2.लुम्भाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।

1. स्वरूपाराम पुत्र लिछाराम
- 2.राणाराम पुत्र लिछाराम
- 3.श्रीमती हीरादेवी पत्नी लिछाराम
- 4.भोमाराम पुत्र श्री अचलाराम
- 5.श्रीमती सजनीदेवी पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।
- 6.श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी नारायणराम जाति विशनोई निवासी मघासर डेर तहसील रामसर जिला बाडमेर।
- 7.श्रीमती चूनीदेवी पत्नी लुम्भाराम
- 8.श्रीमती धनीदेवी पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।
- 9.शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामसर।
- 10.तहसीलदार रामसर।



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 05/2025

:- निर्णय :-

दिनांक :-25.05.2026.

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मघासर डेर पटवार मण्डल सेतराऊ भूअनि रामसर के खसरा संख्या 383 रकबा 28.7650 हेक्टैयर, अर्थात् 177 बीघा 14 बिस्वा बीघा किस्म भूमि बा.सो में वादी एवं प्रतिवादीगण की आयी हुई है जिसमें हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक 09.01.2025 को जरिये अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 01 से 08 की ओर से प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, एवं सहमती जाहिर की गई। एवं प्रतिवादी संख्या 09 बैंक होनं व प्रतिवादी संख्या 10 भूमिधारी होनं से औपचारिक रूप से संयोजित किया जाता है। एवं तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक/भू.अ. /2026/1294 दिनांक 06.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को दिनांक 07.05.2026 को प्राप्त हुआ जिसे रेकॉर्ड पर लेकर शामिल मिशल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जानें का निवेदन किया। कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.05.2026 के अनुसार पक्षकारानों की भूमि विभाजन किया जावें। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मघासर डेर पटवार मण्डल सेतराऊ भूअनि रामसर के खसरा संख्या 383 रकबा 28.7650 हेक्टैयर, अर्थात् 177 बीघा 14 बिस्वा बीघा किस्म भूमि बा.सो भूमि में संलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में निम्न विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया।

क्र. सं.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टैयर	लगान	किस्म	बंरग
1.	1.भोमाराम पुत्र अचलाराम हिस्सा 132/444 2.सजनीदेवी पत्नी अचलाराम हिस्सा 132/444 जाति जाट सा.देह खातेदार	383	7.1872	0.21	बा.सो.	गुलाबी
		01	7.1872	0.21	बा.सो.	

सहायक कलक्टर

	हीरादेवी पत्नी नारायणराम हिस्सा 180/444 त विष्णोई सा.अमोलखेणियों की ढाणी खातेदार					
	1.राणाराम पुत्र लिछाराम हिस्सा 1/3 2.स्वरूपाराम पुत्र लिछाराम हिस्सा 1/3 3.हीरादेवी पत्नी लिछाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार	383	7.1952	0.22	बा.सो.	बैंगनी
		01	7.1952	0.22	बा.सो.	
3.	1.पेमाराम पुत्र गोरधन हिस्सा 888/1777 2.धनीदेवी पत्नी पेलादराम हिस्सा 889/1777 जाति जाट सा.देह खातेदार	383	7.11913	0.22	बा.सो.	लाल
		01	7.11913	0.22	बा.सो.	
4.	1.लुणा पुत्र गोरधन हिस्सा 888/1777 रहिन हिस्सा 888/1777 2.चूनीदेवी पत्नी लूमभाराम हिस्सा 888/1777 जाति जाट सा.देह खातेदार	383	7.1913	0.21	बा.सो.	काला
		1	7.1913	0.21	बा.सो.	

उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक विभाजन के आदेश की पालना में प्रेषित किया है उक्त दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई उस पर मनन किया गया । वादीगण वकील द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहिर की, एवं वाद अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी करने का निवेदन किया। अतः पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस अनुसार अंतिम विभाजन करने के आदेश पारित जाते हैं । तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तुत विभाजन मुतिब हो तदनानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा शीट में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें। पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेष इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनूसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राम लाल भीष्णा)
सहायक कलक्टर रामसर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.पेमाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट 2.लुम्भाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।		1. स्वरूपाराम पुत्र लिछाराम 2.राणाराम पुत्र लिछाराम 3.श्रीमती हीरादेवी पत्नी लिछाराम 4.भोमाराम पुत्र श्री अचलाराम 5.श्रीमती सजनीदेवी पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर। 6.श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी नारायणराम जति विश्णोई निवासी मघासर डेर तहसील रामसर जिला बाडमेर। 7.श्रीमती चूनीदेवी पत्नी लुम्भाराम 8.श्रीमती धनीदेवी पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर। 9.शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामसर। 10.तहसीलदार रामसर।



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 .

राजस्व वाद संख्या 05/2025

::-डिक्री पर्चा :-

दिनांक :-25.05.2026

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू व हाजरी मिनजामिन मुदई व मुहायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मौजा मघासर डेर पटवार मण्डल सेतराऊ भूअनि रामसर के खसरा संख्या 383 रकबा 28.7650 हेक्टैयर, अर्थात 177 बीघा 14 बिस्वा बीघा किस्म भूमि बा.सो की भूमि में तहसीलदार रामसर द्वारा विभाजन अनुसरण में प्रस्तुत वादी एवं प्रतिवादीगण का खसरा रकबा व लगान अलग -अलग करने के आदेश दिये जाते हैं तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। वादीगण एवं प्रतिवादीगण खर्चा अपना-अपना वहन करें।

बीज.....

मुबलीग.....बाबत

यह खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरद.....फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयावी तक को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.05.2026 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(सि.डी.एम.रामसर)
(SDO) रामसर

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनाम	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबुत			महनताना वकील	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय	
मुतफरिक			हुक्मनामा	
मीजान			मुतफरिक	
			मीजाना	

सहायक कलेक्टर रामसर
सहायक कलेक्टर
(SDO) रामसर